न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-291/11</u> <u>संस्थापित दिनांक-25.07.2011</u> Filling no-235103003832011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
1— मेहरवान पुत्र कन्हैया लोधी उम्र 51 साल
2— गजराज पुत्र कन्हैया लोधी उम्र ४७ साल
निवासीगण— ग्राम देवलखो चंदेरी अशोकनगर म0प्र0
3— हरीशंकर पुत्र हरीचरण उम्र 65 साल
निवासी— ग्राम प्राणपुर चंदेरी अशोकनगर म०प्र०
अभियुक्तगण
4 — आशाराम पुत्र कन्हैयाराम उम्र 55 साल मृत

-: <u>निर्णय</u> :--

<u>(आज दिनांक 24.11.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 20.06.2011 को समय शाम 4 बजे स्थान फरियादिया पार्वतीबाई का खेत ग्राम देवलखों के हार में सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आरोपी आशाराम की मृत्यु प्रकरण के लंबित रहने के दौरान हो चुकी है तथा यह निर्णय शेष आरोपीगण के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी पार्वतीबाई ने मय उसके पित राजेश, जेठानी इमरतीबाई के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.06.2011 को शाम 4 बजे वह अपनी जेठानी इमरतीबाई अपने खेत की मेढ पर कोट करने के लिये अपने खेत से पत्थर बीन रही थी तभी मेहरवान लोधी, आशाराम लोधी, गजराज लोधी निवासी देवलखो जो उसके खेत के पड़ोसी है, कह रहे थे कि पत्थर क्यों बीन रही हो, तो उसने कहा कोट बनायेगे, इतने में मेहरवान, आशाराम, गजराज तथा हरी महाराज उसके खेत पर आये और उससे कहा कि तुझे

हम कोट बनाकर देते है और मेहरवान ने उसके दांहिने तरफ सिर में एक लाठी मारी तो चोट आकर खून निकल आया तथा अशाराम ने एक लाठी उसके दांहिने हाथ के दड़ा पर मारी मूंदी चोट आई तथा गजराज लोधी, हरीमहाराज ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी। इमरतीबाई व राजावेटी ने घटना देखी थी। वह रिपोर्ट करने आने लगी तो चारो आरोपीगण ने उसका रास्ता रोककर खड़े हो गये थे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 20.06.2011 को समय शाम 4 बजे स्थान फरियादिया पार्वतीबाई का खेत ग्राम देवलखों के हार में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। सर्वप्रथम अभियुक्त मेहरवान एवं गजराम के विरुद्ध उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में विचार किया जा रहा है। फरियादी श्रीमती पार्वती बाई अ0सा01 को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षविरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना स्थल पर आरोपी मेहरवान, आशारा, गजराम उसके खेत पर आए थे तथा इस बात से भी इंकार किया कि मेहरवान ने उसके दांहिने तरफ से भी लाठी मारी, चोट आकर खून निकल आया। इस बात से भी इंकार किया कि आशाराम ने एक लाठी मारी थी और गजराम लोधी ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि आरोपी गजराज आशाराम और मेहरवान उक्त तीनो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे और न ही उसने आशाराम, मेहरवान, गजराज के द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित करने की कोई बात पुलिस को बताई हो।

07— चक्षुदर्शी साक्षी राजाबेटी अ०सा०२, इमरती अ०सा०३ ने भी आरोपी गजराज, मेहरवान व आशाराम द्वारा फिरयादी पार्वती के साथ मारपीट किये जाने वाली बात से इंकार किया तथा राजाबेटी अ०सा०२ द्वारा प्रतिपरीक्षण के पैरा ७ में बचाव पक्ष के इस सूझाव को भी स्वीकार किया कि मृतक आशाराम, मेहरवान, गजराज मौके पर मौजूद नहीं थे और उक्त तीनो आरोपीगण ने पार्वती के साथ कोई घटना कारित नहीं की। इमरती अ०सा०३ द्वारा प्रतिपरीक्षरण के पैरा ९ में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया है कि उक्त तीनो अर्थात मृतक आशराम, मेहरवान, गजराज ने पार्वती के साथ कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार प्रकरण की फिरयादी पार्वती एवं चक्षुदर्शी साक्षी राजाबेटी एवं इमरती ने आरोपी गजराम, मेहरवान एवं मृतक आशाराम द्वार पार्वती के साथ मारपीट किये जाने वाली बात से स्पष्टताः इंकार किया। अतः उक्त आरोपीगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते है।

08- अब अभियुक्त हरिशंकर के संबंध में उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में विचार किया जा रहा है। पार्वती अ०सा०१ का कहना है कि वह समस्त आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 6 साल पहले की होकर शाम 4 बजे ग्राम देवलखो में स्थित खेत की है। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक को जब वह उसके खेत पर पत्थर बीन रही थी और खेत की सफाई कर रही थी तभी वहां पर वन विभाग के 4 सिपाही पहुँचे थे जिनमें से एक हरिशंकर था अन्य तीन लोग कौन थे उनके नाम वह नहीं जानती है। हरिशंकर और उनके साथ आए वन विभाग के 3 अन्य लोगो ने उसके साथ गाली गलौच की थी और हरिशंकर ने उसके सिर में लाठी मारी थी जिससे उसके सिर में चोट आ गई थी। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि हरिशंकर व वन विभाग के अन्य लोगो ने उसके साथ छेड खानी करने का प्रयास किया था। घटना के समय राजाबेटी और इमरती भी मौजूद थी जिन्होंने घटना देखी है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि हरिशंकर के साथ 3 लोग और थे उक्त तीनो लोग सिपाही थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में यह भी बताया कि आरोपी हरिशंकर ने एक लाठी उसकी बच्ची को मारी थी जो 4 माह की थी और हरिशंकर ने गालियां भी दी थी और पत्थर हटा दिये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में उक्त साक्षी इस बात को स्वीकार करती है कि उसकी वन विभाग वालो से लडाई चल रही है।

09— राजाबेटी अ0सा02 का कहना है कि वह समस्त आरोपीगण को जानती है। फरियादी पार्वती बाई उसकी भाभी है। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना स्थल पर रैंज के 5 लोग 4 मोटरसाईकिलो से खेत पर पहूँचे और हम से बोले की घटना स्थल रैंज की भूमि है यहां से पत्थर मत बीनो, तो साक्षी ने कहा कि पास में रैंज के और भी खेत है उनको क्यों नहीं रोकते, इतने में साक्षी के पिता हीरा आ गये और उनको रैंज वालो में से किसी ने दो थप्पड मार दिये। उक्त साक्षी ने आगे बताया कि उक्त लोगो में से न्यायालय में उपस्थित हरिशंकर ने उसके पिता को थप्पड मारा था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमित से सूचक प्रश्न पूछे

जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसी समय गाँव के गजराज, मेहरवान, आशाराम तथा वन विभाग के हिर महाराज लाठी लेकर आए थे तथा इस बात से भी इंकार किया कि गजराज व हिर महाराज ने पार्वती की धक्का मुक्की की थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी ने वैसा कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि हाजिर अदालत आरोपीगण में से कोई भी आरोपी घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।

10— इमरती बाई अ0सा03 का कहना है कि घटना दिनांक को जब वह पार्वती, राजाबेटी उनके खेत पर पत्थर बीन रहे थे तो रैंज के करीब 4 लोग उनके खेत पर आए जिनमें हरिशंकर महाराज भी थे, हरि महाराज और उनके साथ आए अन्य वन्य कर्मी उसकी देवरानी के साथ मारपीट करने लगे। किन्तु उक्त रैंज के 4-5 लोगो में से पार्वती बाई को किसने मारा वह नहीं बता सकती। उक्त साक्षी का कहना है कि वह पार्वती, राजाबेटी और रैंज के कुछ कर्मचारी थे इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि गाँव के गजराज, मेहरवान, आशाराम तथा वन विभाग के हरि महाराज आए थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि चारो लोग अर्थात आरोपीगण ने पार्वतीबाई के साथ झुमा झटकी की थी। स्वतः कहा रैंज के लोगो ने की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि मौके पर उसके ससुर हीरालाल नहीं थे तथा झगडा जिस स्थान पर हुआ था वह शासकीय भूमि है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि रैंज के सिपाही उनसे कहते है कि ये वन भूमि है इस पर से टपरे हटाओ और हम नहीं हटाते है, इसी बात पर कहा सुनी होती है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि हम तीनो ने कहा कि हम तो झगडे वाले स्थान पर वर्षो से रह रहे है और हम कब्जा नहीं हटाएगे। इसी बात को लेकर पार्वती का वन विभाग के लोगो से झगडा हो गया था और सभी सिपाही देवरानी पार्वती से कहने लगे कि सरकारी जमीन से हटो अपने घर जाओ। प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सूझाब को स्वीकार किया कि हम तीनो ने रिपोर्ट इसलिये लिखाई थी क्योंकि वन विभाग के आरक्षक वन भूमि का कब्जा हमसे न लेवे।

11— राजेश अ0सा04 ने बताया कि वह आरोपी मेहरवान, गजराज को जानता है, फरियादी पार्वतीबाई उसकी पत्नी है। साक्षी का कहना है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आती है जिससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। डॉ. अजय सिह अ0सा06 द्वारा उसके कथनो में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 20.06.2011 को पार्वती का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसके सिर के पैराईटल भाग में दांहिनी तरफ एक फटी चोट का निशान त्वचा की गहराई तक था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं उसके सिर को दीवाल

पर मार दे तो उक्त चोट आना संभव है तथा साधारण धक्का मुक्की में उक्त चोट नहीं आ सकती।

- 12— उपरोक्तानुसार किये गये साक्ष्य के विशलेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि घ ाटना स्थल शासकीय भूमि है और फरियादी पार्वती बाई स्वयं उसके कथनो के अनुसार उक्त शासकीय भूमि पर पत्थर बीनकर कोट बनाने का कार्य कर रही थी। स्वयं फरियादी पार्वती का प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में यह भी कहना है कि उसकी वन विभाग वालो से लडाई है और चक्षुदर्शी साक्षी इमरतीबाई ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया है कि उन्होंने रिपोर्ट इसलिये लिखाई थी क्योंकि वन विभाग के आरक्षक वन भूमि पर कब्जा उनसे न लेले। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने के कारण उक्त प्रकरण में आरोपीगण सहित तत्कालीन डिप्टी रैजर हरिशंकर के विरुद्ध दर्ज कराया गया है।
- 13— इसके अलावा स्वयं फरियादी पार्वती द्वारा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 में अभियुक्त हरिशंकर के साथ 3 अन्य लोगों के नाम अर्थात मृतक आशाराम, गजराज, मेहरवान के नाम लेख कराया जाना दर्शित है। जबिक उक्त साक्षी एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षी राजाबेटी एवं इमरती मृतक आशाराम, गजराज एवं मेहरवान के घटना स्थल पर उपस्थित होने से स्पष्ट इंकार करती है। पार्वती उसके कथनों में हरिशंकर और वन विभाग के अन्य लोगों के द्वारा उसके साथ छेडखानी करने के प्रयास का कथन करती है जबिक छेडखानी किये जाने के संबंध में उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके धारा 161 द0प्र0स0 के कथनों में कोई उल्लेख नहीं है। यदि फरियादिया पार्वती के साथ घटना के समय छेडखानी हुई थी या छेडखानी कारित किये जाने का प्रयास रैंज के लोगों द्वारा किया गया था तब क्या कारण रहा कि उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त बाते लेख नहीं कराई ।
- 14— इसके अलावा फरियादी पार्वती घटना को और अधिक बडा चढाकर प्रतिपरीक्षण में यह भी बताती है कि आरोपी हरिशंकर ने एक लाठी उसकी बच्ची को मारी जो 4 माह की थी, उक्त बात भी पार्वती द्वारा उसकी पुलिस रिपोर्ट या पुलिस कथनो में नहीं है। इसी प्रकार राजाबेटी भी प्रतिपरीक्षण में अभियोजन कहानी बढा चढाकर प्रस्तुत करती है और न्यायालयीन कथनो में बताती है कि घटना के समय उसके पिता हीरा आ गये और उनको रैंज वालो में से किसी ने थप्पड मार दिया था जबिक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी इमरती हीरालाल के घटना के समय उपस्थित होने से स्पष्टतः इंकार करती है। इस प्रकार फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनो में घ घटना को लेकर मत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास है और उक्त साक्षियों के द्वारा घटना को अत्यधिक बढा चढाकर प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, बल्कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बनाये रखने के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रथम दृष्ट्यां दर्शित होता है।

- 15— उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 20.06.2011 को समय शाम 4 बजे स्थान फरियादिया पार्वतीबाई का खेत ग्राम देवलखो के हार में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। अतः आरोपी मेहरवान पुत्र कन्हैया लोधी उम्र 51 साल, गजराज पुत्र कन्हैया लोधी उम्र 47 साल, हरीशंकर पुत्र हरीचरण उम्र 65 साल, के विरूद्ध धारा 323/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है
- 16— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 17- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 18— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0